FTS- 77/2013

राजकीय प्रयोजनार्थ

न्यायालय अति0जिला कलेक्टर,टोंक

(परशुराम धानका,आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 47/2013
प्रविष्टि दिनांक 12.06.2013

सरकार जरिए तहसीलदार मालपुरा जिला टोंक

–प्रार्थी

बनाम

छोगा पुत्र बालू व सीताराम पुत्र बालू जाति माली निवासी गोलीपुरा तह. मालपुरा जिला टोंक

–अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित–

1. राजकीय पेरोकार श्री रामप्रसाद कुमावत व श्री मजहर आलम एड0
2. अप्रार्थीगण अनुपस्थित ।

अभिशंषा **दिनांक 27–9–2022**

यह प्रार्थना पत्र तहसीलदार मालपुरा द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के तहत प्रस्तुत किया है। संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार हैं कि खसरा नम्बर 419 रकबा 49 बीघा किस्म गैर मुभकिन नाला वाके ग्राम टोरडी तह0 मालपुरा राज्य सरकार के नाम भू प्रबन्ध के रिकॉर्ड/जमाबन्दी सम्वत् 2010 में गैर मुमकिन नाला दर्ज थी। उक्त भूमि में से 3 बीघा अवैधानिक रूप से आवंटन आदेश दिनांक 01.02.1983 के द्वारा श्री रामलाल पुत्र मथुरा जाति कहार निवासी टोरडी को जरिये नामान्तकरण सं. 2199 से गैर खातेदारी आवंटित की गई। आवटिंत भूमि की खोतदारी जरिये नामान्तकरण सं. 3236 दिनांक 07.02.1991 से हुई। श्री रामलाल पुत्र मथुरा जाति कहार निवासी टोरडी ने उक्त भूमि खसरा नम्बर 419/1/16 (हाल) रकबा 3 बीघा को श्री छोगा पुत्र बालू हिस्सा 1/3, सीताराम पुत्र बालू हिस्सा 2/3 जाति कहार निवासी गोलीपुरा को नामा. सं. 3243 के नाम जरिये विक्रय पत्र से स्थानान्तरण कर दी गई। तथा नामा. सं. 265 (अम्बापुरा) से भूमि पी.एल.डी.बी. शाखा मालपुरा के रहन दर्ज हुई (हिस्सा 1/3)। उक्त भूमि राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 16 में वर्णित है. जो आवंटन योग्य नहीं हैं। अतः तहसीलदार मालपुरा द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त आवंटन की गई भूमि का आवंटन एवं नामान्तकरण सं. 2199,3236,3243 (टोरडी) व 265 (अम्बापुरा) को निरस्त कराने हेतु राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में रेफरेन्स अभिशंषा के साथ भिजवाने हेतु निवेदन किया हैं।

सत्य प्रतिलिपि
आज्ञा से

न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर
टोंक (राज0)

(मुहर: न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी जरिए नोटिस विपक्षी की गई। अप्रार्थी सीताराम को जारी नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुआ परन्तु अप्रार्थी सीताराम अनुपस्थित रहा। अप्रार्थी छोगा भी बाद सूचना अनुपस्थित हैं। अतः प्रकरण में राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया एंव निवेदन किया खसरा नम्बर 419 रकबा 49 बीघा किस्म गैर मुमकिन नाला वाके टोरडी तह0 मालपुरा राज्य सरकार के नाम भू प्रबन्ध के रिकॉर्ड/जमाबन्दी सम्वत् 2010 में गैर मुमकिन नाला दर्ज थी। उक्त भूमि में से 3 बीघा अवैधानिक रूप से आवंटन आदेश दिनांक 01.02.1983 के द्वारा श्री रामलाल पुत्र मथुरा जाति कहार निवासी टोरडी को जरिये नामान्तकरण सं. 2199 से गैर खातेदारी आवंटित की गई। आवटिंत भूमि की खोतदारी जरिये नामान्तकरण सं. 3236 दिनांक 07.02.1991 से हुई। श्री रामलाल पुत्र मथुरा जाति कहार निवासी टोरडी ने उक्त भूमि खसरा नम्बर 419/1/16 (हाल) रकबा 3 बीघा को श्री छोगा पुत्र बालू हिस्सा 1/3, सीताराम पुत्र बालू हिस्सा 2/3 जाति कहार निवासी गोलीपुरा को नामा. सं. 3243 के नाम जरिये विक्रय पत्र से स्थानान्तरण कर दी गई। तथा नामा. सं. 265 (अम्बापुरा) से भूमि पी.एल.डी.बी. शाखा मालपुरा के रहन दर्ज हुई (हिस्सा 1/3)। जबकि उक्त भूमि राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 16 में वर्णित है जो आवंटन योग्य नहीं हैं। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के डी0बी0सिविल याचिका संख्या 1536/2003 उनवानी अब्दुल रहमान बनाम सरकार में दिये गये निर्णय दिनांक 02.08.2004 की पालना में विपक्षीगण के पक्ष में किया गया आवण्टन दिनांक 01.02.1983 एवं भरे गये गैर खातेदारी का नामान्तरकरण सं0 2199 एंव खातेदारी का नामान्तरकरण सं0 3236 दिनांक 07.02.1991 निरस्त कराने हेतु रेफरेन्स प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को प्रेषित किया जावे।

अभिभाषक अप्रार्थी व अप्रार्थीगण अनुपस्थित रहे।

हमने राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी एंव बहस पर मनन किया एंव पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों नकल जमाबन्दी 2066--69, नकल नामान्तकरण सं. 2199, 3236, 3243 (टोरडी) व 265 (अम्बापुरा) व खतौनी बन्दोबस्त 2010 व आवंटन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। नकल भू प्रबन्ध खतोनी बन्दोबस्त जमाबंदी सम्वत 2010 में खसरा नम्बर 419 गैर मुमकिन नाला भूमि दर्ज थी। भू आवण्टन सलाहकार समिति के द्वारा दिनांक 01.02.1983 को खसरा नम्बर 419 में से 3 बीघा भूमि श्री रामलाल पुत्र मथुरा जाति कहार निवासी टोरडी के नाम आवण्टन किया गया। आवण्टन आदेश की अनुपालना में रामलाल पुत्र मथुरा जाति कहार निवासी टोरडी को नामा0 सं0 2199 के द्वारा गैर खातेदारी एंव नामा0 संख्या 3236 दि0 07.02.1991 को खातेदारी अधिकार दे दिये गये। श्री रामलाल पुत्र मथुरा जाति कहार निवासी टोरडी ने उक्त भूमि खसरा नम्बर 419/1/16 (हाल) रकबा 3 बीघा को श्री छोगा पुत्र बालू हिस्सा 1/3, सीताराम पुत्र बालू हिस्सा 2/3 जाति कहार निवासी गोलीपुरा को नामा. सं. 3243 के नाम जरिये विक्रय पत्र से स्थानान्तरण कर दी गई। तथा नामा. सं. 265 (अम्बापुरा) से भूमि पी.एल.डी.बी. शाखा मालपुरा के रहन दर्ज हुई (हिस्सा 1/3)।

सत्य प्रतिलिपि

आज्ञा से

न्यायालय ... कलेक्टर

टोंक राज0

बावास्ते जिला कलेक्टर,

टोंक

राजकीय प्रयोजनार्थ

चूँकि उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड नकल भू प्रबन्ध खतोनी बन्दोबस्त जमाबंदी सम्वत 2010 में खसरा नम्बर 419 गैर मुमकिन नाला भूमि दर्ज थी। श्री रामलाल पुत्र मथुरा जाति कहार निवासी टोरडी ने इस भूमि को भू आवण्टन सलाहकार समिति की राय से अपने पक्ष में आवण्टित करा कर पहले गैर खातेदारी और बाद मे खातेदारी अधिकार प्राप्त किये गये है। राज0 टिनेन्सी एक्ट की धारा 16 के तहत ऐसी भूमियों का आवण्टन प्रतिबन्धित हैं। इससे स्पष्ट है कि दिनांक 01.02.1983 को भूमि रामलाल पुत्र मथुरा जाति कहार निवासी टोरडी के पक्ष में आवण्टित किया जाना राज0 टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के प्रतिकूल है। तहसीलदार मालपुरा का यह प्रकरण माननीय राज0 उच्च न्यायालय की डी0बी0 सिविल जनहित याचिका सं0 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में दिये गये निर्णय दिनांक 2–8–2004 की पालना में प्रस्तुत किया है जो स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता हैं।

फलतः माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को रेफरेन्स प्रकरण इस निवेदन के साथ प्रेषित है कि रामलाल पुत्र मथुरा जाति कहार निवासी टोरडी तहसील मालपुरा जिला–टोंक को दिनांक 01.02.1983 को खसरा नम्बर 419 रकबा 3 बीघा का आवंटन तथा आवण्टन आदेश की पालना मे श्री रामलाल पुत्र मथुरा जाति कहार निवासी टोरडी के नाम स्वीकार किया गया गैर खातेदारी का नामान्तकरण सं0 2199 एंव खातेदारी का नामान्तकरण सं0 3236 दिनांक 07.02.1991 तथा नामा. सं. 3243 (टोरडी) व 265 (अम्बापुरा) को निरस्त कर आराजी खसरा नम्बर 419 रकबा 3 बीघा भूमि वाके ग्राम टोरडी तहसील मालपुरा जिला–टोंक को पुनः गैर मुमकिन नाला सिवायचक राजकीय भूमि दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करें।

निर्णय आज दिनांक 27–9–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्य प्रतिलिपि
आज्ञा से

न्यायालय अति0 जिला कलक्टर
टोंक (राज0)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर * टोंक

(परशुराम धानका)
अति.जिला कलेक्टर, टोंक